संख्या-73/2017/2750 ई-2/तेरह-2017-37/1999

प्रेषक,

राम बहादुर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 07 दिसम्बर,2017

विषयः-होटल रमाडा प्लाजा, 672 बसई फतेहाबाद रोड, तहसील सदर, जनपद, आगरा को एफ0एल0-6ए(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-402/आबकारी सहा0/2015-16, दिनांक 01 फरवरी,2016, पत्र संख्या-106/4/आब0सहा0, दिनांक 01 मई,2017 तथा पत्र संख्या-153/4/जि0आ0अ0/ आगरा, दिनांक 16 सितम्बर,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 22-01-2016 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-171/दस-लाइसेंस-12/खण्ड-08/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/आगरा, दिनांक 05 जून,2017 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त होटल रमाडा प्लाजा, 672 बसई फतेहाबाद रोड, तहसील सदर, आगरा वर्ष 2017-18 के लिये एफ0एल0-6ए(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत करने पर राज्य सरकार की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि अनुज्ञापी द्वारा एफ0एल0-6ए(समिश्र) बार अनुज्ञापन के सम्बन्ध में विहित शर्तों एवं व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(राम बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-73/2017/2750(1) ई-2/तेरह-2017, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-171/दस-लाइसेंस-12/खण्ड-08/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/आगरा, दिनांक 05 जून,2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(राम बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।